27.08.25

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी या वादी स्वंय उपस्थित नहीं। बार-बार आवाज लगाने पर भी उपस्थित नहीं हुये। अतः वादी का यह वादपत्र अदम पैरवी - अदम हाजिरी में इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। जावली बाद तरतीब तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनीलकुमार चौहान)
RAS.